संख्याः 1151/I/2004-01(1)/6/04

प्रेषक,

डा0 एम0सी0 जोशी
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

विद्युत निरीक्षक,
उत्तरांचल शासन
पंचायत घर, बड़ी मुखानी,
हल्द्वानी (नैनीताल)

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 15 मार्च, 2005

विषयः— वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिये विद्युत सुरक्षा कार्यालय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में स्वीकृत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 4805/वि0नि0उ0/बजट पुनर्विनियोग मॉग दिनांक 22.01.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 79/I/2004-01(1)/6/04 दिनाक 25.08.2004 के क्रम में विद्युत सुरक्षा निदेशालय को विभिन्न अवचनबद्ध मदों में, जिनका मदवार विवरण संलग्न बी0एम0–15 के कॉलम 5 में है, में रु0 1,80,000.00 (रु0 एक लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार पुनर्विनियोजन द्वारा व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2— उक्त धनराशि के ब्याज के लिये शेष शर्तें उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 25.08.004 के अनुसार ही रहेंगी।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक 2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–00–आयोजनेत्तर–103–संग्रहण प्रभार–विद्युत शुल्क–उपशीर्षक–03–विद्युत सुरक्षा निदेशालय–00–की संलग्नक बी0एम0–15 के कॉलम 5 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 776/वि0अनु0–3/2004, दिनांक 11 मार्च, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः—यथोक्त (बी.एम.15)

भवदीय,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्याः 1151/I/2004-01(1)/6/04, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2— वित्त अनुभाग–3
3— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उप कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
4— अपर निजी सचिव, मा0 ऊर्जा राज्यमंत्री को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञानार्थ।
5— प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6— गार्ड फाईल हेतु।

भवदीय,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संलग्नक–1

बी0एम0–15

पुनर्विनियोग 2004–2005 आयोजनेत्तर अनुदान सं0–07

नियन्त्रक अधिकारी–सचिव–ऊर्जा विभाग

(रू0 हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।			पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में कुल अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5			6	7	8
2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क आयोजनेत्तर 103–सग्रहण प्रभार विद्युत शुल्क 0000–03–विद्युत सुरक्षा निदेशालय मानक कोड 01–वेतन 2175	1497	538	140 क	2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क– 00–आयोजनेत्तर– 103–सग्रहण प्रभार विद्युत शुल्क 03–विद्युत सुरक्षा निदेशालय मानक कोड–00– 02–मजदूरी	05	ख	45	2035	(क) आवश्कता न होने के कारण।
				11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50		125		
				13–टेलीफोन पर व्यय	40		80		(ख) आवश्यकत अधिक व बजट प्राविधान कम होने के कारण।
45–अवकाश यात्रा व्यय 100	–	60	40	15–गाडियों का अनुरक्षण एवं पैट्रोल आदि की खरीद	10		60		
				19–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन	50		51		
				42–अन्य व्यय	25		45	60	
योग– 2275	1497	598	180		180		406	2095	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद–150,151,155,156 में उल्लिखित सामाओं का एवं प्राविधानों का उल्लघन नही होता है।

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या: 776 / वि0अनु0–3 / 2005
देहरादून: दिनांक: 11 मार्च, 2005
पुनर्विनियोग स्वीकृत

(टी.एन. सिंह)
अपर सचिव

संख्या: 1151/I/2004-01(1)/6/04, दिनांक 15, मार्च, 2005
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
2– वित्त अनुभाग–3